Handwritten (top right): हराधन राय / बनाम / काली साव

...रित 14 फारम सं० 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.. तक जिला धनबाद

एम.पी. वाद संख्या......497/17...... धारा....144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	
24.3.17	द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत थाना प्रभारी, निरसा अ.प्रा.सं. 01/17 दिनांक-16-3-2017 से प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भुमि विवाद है। जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए दोनों पक्षों के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत कारवाई करके प्रतिबंधित करने की अनुशंसा की गई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत मैं संतुष्ट हूँ कि उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षो के विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कारवाई प्रारंभ की जाती है। कारवाई प्रर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत भुमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि- 5.4.17 को 10.00 बजे पुर्वा० में मेरे न्यायालय में निश्चित रूप से उपस्थित होकर अपना अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरुद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भुमि का विवरण** ------------------------ मौजा नं०-69, खाता नं०-49, प्लोट नं०-275, रकवा-33 डी० चौहद्दी- पुरब-समर राय, हिरा राय दोनों पिता-स्व० हेमु राय का मकान, पश्चिम रावण साव पिता-स्व० गोबिन्द राय मकान, उत्तर-पी.सी.सी. रोड बाद हराधन राय पिता-स्व० ज्योति राय मकान कान्ती राय पिता-मलिन्दु राय मकान, दक्षिण-काली साव पिता-स्व० जगदीश साव मकान, छुटु साव पिता-स्व० गोविन्द साव। लेखापित एवं संशोधित अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद। अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद।	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.22 14:19:58 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner